<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) टाण्डा, अम्बेडकरनगर</u>

मूलवाद संख्या–556 / 2019
राजेन्द्र प्रसाद **बनाम** हरि प्रसाद
दिनांक–03.01.2025

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्ष द्वारा अपने–अपने अभिवचनों का समर्थन किया गया एवं संधि करने से इंकार किया और वाद बिन्दु विरचित किये जाने की याचना की गयी। इस स्तर पर उभयपक्ष के मध्य संधि का कोई तत्व विद्यमान नहीं है। तदनुसार उभयपक्ष के परस्पर विरोधी अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं:–

1. क्या दावा वादी प्रश्नगत सम्पत्ति अक्षरांकित अ,य,र,द से अवैध कब्जा व दखल हटाकर कब्जा व दखल प्राप्त करने का अधिकारी है ?
2. क्या वाद अल्प मूल्यांकित है?
3. क्या दावा वादी द्वारा अदा किया गया प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है ?
4. क्या वाद का कोई कार्य कारण उत्पन्न नहीं है ?
5. क्या प्रतिवादी वादी से धारा–35अ जा.दी. के अन्तर्गत विशेष हर्जा पाने का अधिकारी है?
6. क्या दावा वादी कोई अन्य अनुतोष पाने का अधिकारी है ?

वाद बिन्दु पक्षकारों को पढ़कर सुनाये गये, उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु उत्पन्न नहीं होता है और न ही पक्षकारों द्वारा बनाये जाने पर बल दिया गया है। इस स्तर पर पक्षकारों द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। पत्रावली वाद बिन्दु संख्या 2 व 3 के निस्तारण हेतु दिनांक 07.01.2025 को पेश हो।

सिविल जज(जू0डि0) टाण्डा
अम्बेडकरनगर